कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-3/2025/2189 लखनऊः दिनांक 09 सितम्बर, 2025

यू०पी० नीट यू०जी०-2025 के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र की मेरिट सूची के आधार पर होगा।

2. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. प्रथम चक्र की कांउसिलिग से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने अथवा प्रवेशोपरान्त त्याग-पत्र देने के पश्चात् अभ्यर्थियों को **Free Exit** की व्यवस्था निर्धारित है, अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है तो. उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

4. यू०पी० नीट यू०जी० 2025 के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण/ सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा की गयी है, एवं उनके डाक्यूमेंट का आनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह हैं।

5. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की रिक्त **(Vacant)**/ नॉट रिपोर्टेड **(Not reported)** एवं रिजाईन **(Resign)** सीटें **Clear-cut Vacancy** के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त वैकेन्सी के अतिरिक्त **Seat Against Cancellation (SAC)** का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। **SAC** सीटें एक प्रकार की **Virtual vacancies** है. जो कि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी।

6. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/ निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेण्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर आनलाइन च्वाईस फिल की जाये। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिसमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। आनलाइन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है, च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

7. अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस लाक करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस सम्बन्ध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

8.अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोडकर ही अन्य विकल्प/च्वाईस भरी जाये, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।

10. शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु एन0एम0सी0 द्वारा **ESIC Medical College & Hospital, Noida** को 50 सीटों हेतु एल0ओ0पी0 प्रदान किया गया है। उक्त मेडिकल कालेज की स्टेट कोटे की सीटों पर यू०पी० नीट यू०जी०- 2025 काउंसिलिंग के नीति निर्धारक विषयक शासनादेश संख्या- **I/995234/2025**, दिनांक-18.06.2025 में स्टेट कोटा सीटों हेतु दिये गये आरक्षण व्यवस्था के अनुसार रोस्टर लगाते हुए सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जा रहा है, इस हेतु

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया **ESIC Medical College & Hospital, Noida** के शुल्क यू०पी० नीट यू०जी० 2025 काउंसिलिंग की आधिकारिक वेबसाइट **https://upneet.gov.in** एवं **www.dgme.up.gov.in** पर प्रदर्शित है, जिसका अवलोकन च्वाईस फिलिंग से पूर्व अवश्य करना सुनिश्चित करें।

11. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अर्ह होगें।

12. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेते है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन के पश्चात् राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को सबंधित मेडिकल/ डेण्टल कालेज / संस्थान/ विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।

14. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क **(Tuition Fee)** का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० **(Director General Medical Education & Training U.P. Payable at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी- स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट **https://upneet.gov.in** एवं **www.dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है।

15. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल/ डेण्टल कालेज / नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

16. यू०पी० नीट यू०जी० 2025 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश सं0-I/995234/2025, दिनांक-18.06.2025 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही समस्त चक्रों की कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रॉशर का स्वयं अवलोकन करें।

17. यू०पी० नीट यू०जी०-2025 कांउसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिये विभागीय वेबसाइट **https://upneet.gov.in** एवं **www.dgme.up.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक